

27/4/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु-  
वादी को एक-एककर तीन बार आवाजे  
लगावाई गई, परन्तु शाम 5 बजे तक  
न तो वदी और न ही उनकी और से  
कोई प्लीडर उप-हुआ। अतः पत्रावली  
की अदम हाजरी, अदम पेशी में खारिज  
किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते  
हैं, पत्रावली फौजदारी नुमा 12 होकर, एक  
नम्बर से कम होकर, दायित्व दफतर  
है।